17/5/18 प्रार्थना पत्र पेश हुआ। तहसीलदार कोटकासिम [illegible]
निर्णय पुस्तक से इंद्राज किया जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर रजिस्टर
से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)

प्रकरण संख्याः– 24/16/04/2018 प्रकरण तारीखः– 16/04/2

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः– 17/04/2018

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, कोटकासिम के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गिरवास तहसील कोटकासिम की जमाबंदी चौसाला सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं0 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36 से 50, 52 से 55, 57 से 60, 62 से 70, 72 से 76, 78 से 89, 91, 94 से 104, 106 से 118, 120 से 125, 130 से 132, 135 से 140, 143 से 150, 157 से 161, 163 से 169, 171 से 173, 175 से 182, 185 से 186, 188 से 192, 195 से 203, 206 से 217, 220, 222 से 223, 225 से 227, 230 से 231, 233 से 240, 244, 247 से 255 तक के खातो मे काश्तकार की वलदियत मे खातेदार या गैरखातेदार दर्ज नही है। जमाबंदी सम्वत 2015 (भू प्रबंध के समय) भी खा0 सं. 1 से 131 तक भी खातेदार या गैरखातेदार दर्ज नही है। जबकि भू प्रबंध के समय जिम्मन मे 1 लगायत 131 खातेदारान दर्ज किया हुआ है। परन्तु जमाबंदी के खाता सं. 1 लगायत 131 तक खातेदार दर्ज नही है। इस प्रकरण की उप तहसीलदार, हरसौली द्वारा हल्का पटवारी से जॉच करवाई गई जिस पर उन्होने अपनी जॉच रिपोर्ट दी कि जमाबंदी सम्वत 2070 –73 की उपरोक्त खाता संख्याओ मे क्रमशः सभी काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है। भू प्रबंध रिकोर्ड (खतौनी बन्दोबस्त) मे दर्ज इन्द्राज एव काश्तकारो के वक्त बंदोबस्त से लगातार कब्जा काश्त के आधार पर वर्तमान राजस्व रिकोर्ड मे खातेदार शब्द जोडा जाना उचित है।

प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के साथ संलग्न राजस्व रिकोर्ड एव नायब तहसीलदार, हरसौली की रिपोर्ट व तहसीलदार,कोटकासिम की अभिषंसा के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत दुरूस्त किये जाने योग्य पाया जाता है अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अनुसरण मे तहसीलदार,कोटकासिम को आदेश दिया जाता है कि वो ग्राम गिरवास तहसील कोटकासिम की जमाबंदी चौसाला सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं0 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36 से 50, 52 से 55, 57 से 60, 62 से 70, 72 से 76, 78 से 89, 91, 94 से 104, 106 से 118, 120 से 125, 130 से 132, 135 से 140, 143 से 150, 157 से 161, 163 से 169, 171 से 173, 175 से 182, 185 से 186, 188 से 192, 195 से 203, 206 से 217, 220, 222 से 223, 225 से 227, 230 से 231, 233 से 240, 244, 247 से 255 तक के खातो मे खातेदार शब्द दर्ज किया जावे व शेष इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/04/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना, आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)

प्रकरण संख्याः— 24/16/04/2018 प्रकरण तारीखः— 16/04/2018

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः— 17/04/2018

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, कोटकासिम के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गिरवास तहसील कोटकासिम की जमाबंदी चौसाला सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं0 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36 से 50, 52 से 55, 57 से 60, 62 से 70, 72 से 76, 78 से 89, 91, 94 से 104, 106 से 118, 120 से 125, 130 से 132, 135 से 140, 143 से 150, 157 से 161, 163 से 169, 171 से 173, 175 से 182, 185 से 186, 188 से 192, 195 से 203, 206 से 217, 220, 222 से 223, 225 से 227, 230 से 231, 233 से 240, 244, 247 से 255 तक के खातो मे काश्तकार की वलदियत मे खातेदार या गैरखातेदार दर्ज नही है। जमाबंदी सम्वत 2015 (भू प्रबंध के समय) भी खा0 सं. 1 से 131 तक भी खातेदार या गैरखातेदार दर्ज नही है। जबकि भू प्रबंध के समय जिम्मन मे 1 लगायत 131 खातेदारान दर्ज किया हुआ है। परन्तु जमाबंदी के खाता सं. 1 लगायत 131 तक खातेदार दर्ज नही है। इस प्रकरण की उप तहसीलदार, हरसौली द्वारा हल्का पटवारी से जॉच करवाई गई जिस पर उन्होने अपनी जॉच रिपोर्ट दी कि जमाबंदी सम्वत 2070 –73 की उपरोक्त खाता संख्याओ मे क्रमशः सभी काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है। भू प्रबंध रिकोर्ड (खतौनी बन्दोबस्त) मे दर्ज इन्द्राज एव काश्तकारो के वक्त बंदोबस्त से लगातार कब्जा काश्त के आधार पर वर्तमान राजस्व रिकोर्ड मे खातेदार शब्द जोडा जाना उचित है।

प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के साथ संलग्न राजस्व रिकोर्ड एव नायब तहसीलदार, हरसौली की रिपोर्ट व तहसीलदार,कोटकासिम की अभिषंसा के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत दुरूस्त किये जाने योग्य पाया जाता है अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अनुसरण मे तहसीलदार,कोटकासिम को आदेश दिया जाता है कि वो ग्राम गिरवास तहसील कोटकासिम की जमाबंदी चौसाला सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं0 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36 से 50, 52 से 55, 57 से 60, 62 से 70, 72 से 76, 78 से 89, 91, 94 से 104, 106 से 118, 120 से 125, 130 से 132, 135 से 140, 143 से 150, 157 से 161, 163 से 169, 171 से 173, 175 से 182, 185 से 186, 188 से 192, 195 से 203, 206 से 217, 220, 222 से 223, 225 से 227, 230 से 231, 233 से 240, 244, 247 से 255 तक के खातो मे खातेदार शब्द दर्ज किया जावे व शेष इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/04/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना, आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रेषितिः– तहसीलदार, कोटकासिम को वास्ते पालनार्थ प्रेषित है।

(विश्वामित्र मीना, आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner